लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2023 (GCMS 2023/61)	21.02.2023	14.03.2023

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9214430200)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.01.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./015/2023(सू.अ.)(01.03.2023)/176 दिनांक 21.02.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 01.03.2023 को अपील अपीलार्थी को सुनवाई हेतु रखा गया किन्तु अपीलार्थी के हाजिर नहीं आने से न्याय हित में अपीलार्थी को पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 14.03.2023 को उपस्थिति हेतु सूचित कराया गया।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ /2023/29 दिनांक 13.03.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपील सुनवाई दिनांक 14.03.2023 को अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स मय अनुलग्नकों की एक प्रति अपीलार्थी को दिलवाई गई।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/ पीए/लोसूअ/2023/29 दिनांक 13.03.2023 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बूंदीरोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2023 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/स्था./प. 4–() लोसूअ/2023/304 दिनांक 13.03.2023 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/16 दिनांक 13.03.2023 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को भिजवाये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़्गढ़ एवं संबंधित पत्रांक दिनांक 13.03.2023 की छाया प्रति प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स मय अनुलग्नकों की एक प्रति अपीलार्थी को दिलवाई गई एवं अपीलार्थी को प्रेषित टिप्पणी मय दस्तावेजात के अध्ययन हेतु पर्याप्त समय दिया गया। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने लोक सूचना अधिकारी को प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग से प्राप्त प्रत्युत्तर पत्र क्रमांक/स्था./प.4–1( )लोसूअ/2023/304 दिनांक 13.03.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी संस्थापन द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में लोक सूचना अधिकारी को बिन्दुवार प्रत्युत्तर प्रेषित किया है उक्त प्रत्युत्तर का हम वर्णन कराना चाहते है, जो कि निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या 1 में ''मुकेश ईनाणी एवं स्टाफ के सभी की सर्विस रिकॉर्ड़ की प्रतिलिपि दें'' के संबंध में सूचना चाही गई हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

इस संबंध में निवेदन हैं कि उक्त चाही गई सूचना का प्रकटन/दिया जाना किसी लोक हित से संबंध नहीं रखता हैं एवं उक्त सूचना का प्रकटीकरण विस्तृत लोक हित में नहीं हैं। अतः उक्त बिन्दु सं. 1 से वांछित सूचना, अधिनियम की धाराओं 8(1) एवं 8(2) के अनुसरण में दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

बिन्दु संख्या 2 से 6 के संबंध में निवेदन हैं कि उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में केवल ''ओए'' लिखा हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि किसके बारे में सूचना चाही गई हैं। यदि प्रार्थी द्वारा स्पष्ट विशिष्टियों सहित आवेदन किया जाता हैं, तो नियमानुसार देय होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

बिन्दु संख्या 7 में ''मुकेश ईनाणी'' के संबंध में वांछित सूचना के क्रम में निवेदन हैं कि वांछित सूचना का प्रकटन/दिया जाना किसी लोक हित से संबंध नहीं रखता हैं एवं उक्त सूचना का प्रकटीकरण विस्तृत लोक हित में नहीं हैं। अतः उक्त सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) एवं 8(2) के अनुसरण में दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं। साथ ही प्रार्थी प्रार्थना पत्र के इसी बिन्दु में ''ओए'' के संबंध में वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं, क्योंकि चाही गई सूचना में सिर्फ ''ओए'' लिखा हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि किसके बारे में सूचना चाही गई हैं। यदि प्रार्थी द्वारा स्पष्ट विशिष्टियों सहित आवेदन किया जाता हैं, तो नियमानुसार देय होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स मय अनुलग्नकों के अध्ययन हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत हाजिर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अतिरिक्त समयावधि चाहने के संबंध में सूचित किया गया। इस पर हाजिर अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त समय नहीं चाहा गया एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रभारी अधिकारी संस्थापन द्वारा प्रेषित सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरित है तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सेवकों के संबंध में है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधानों के तहत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देय है किन्तु प्रभारी अधिकारी संस्थापन जान बूझ कर सूचना उपलब्ध नहीं कराना चाहते है, जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरित है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्ववक अवलोकन किया। हाजिर अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकर अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अधिनियम 2005 के अध्याय 2 में सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व निर्धारित है। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधित किया गया है कि :–

8. Exemption from disclosure of information.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,--

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section *(1)*, a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses *(a)*, *(c)* and *(i)* of sub-section *(1)*, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section:

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 में सूचना के प्रकटन से छूट प्रदान की गई है। हस्तगत प्रकरण में प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 7 से वांछित सूचना का प्रकटन/दिया जाना किसी लोक हित से संबंध नहीं रखता हैं एवं उक्त सूचना का प्रकटीकरण विस्तृत लोक हित में नहीं हैं, अतः उक्त वांछित सूचना, अधिनियम की धाराओं 8(1) एवं 8(2) के अनुसरण में दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ञ) में प्रावधित किया गया कि ऐसी सूचना, जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसमें प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या किस जिसमें किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का प्रकटन न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यालय में कार्यरत कार्मिक मुकेश ईनाणी के संबंध में बिन्दु संख्या 1 एवं 7 से क्रमश सूचना चाही गई है कि ''**मुकेश ईनाणी एवं स्टाप के सभी के सर्विस रिकार्ड की प्रतिलिपि दे, मुकेश ईनाणी एवं ओए साहब की दैनिक प्रगति रिपोर्ट एवं सैलेरि रिकार्ड की प्रतिलिपि दे 10 सालों की।**'' इस संबंध हाजिर अपीलार्थी पूर्णतया इस तथ्य को साबित कराये जाने में पूर्णरूप से असफल रहा कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा राजकीय कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की वैयक्तिक सूचना है, उक्त वांछित सूचना का किस प्रकार से जनता के बडे हित में या लोक हित निहित है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 एवं 7 से वांछित सूचना के संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अपील अपीलार्थी खारीज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 से 6 तक में हाजरी रजिस्टर, जन शिकायतों, पोर्टल पर आई शिकायतों, शिकायतों के निस्तारण एवं पदस्थापन आदेश की सूचना चाही गई है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी संस्थापन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में केवल ''ओए'' लिखा हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि किसके बारे में सूचना चाही गई हैं। यदि प्रार्थी द्वारा स्पष्ट विशिष्टियों सहित आवेदन किया जाता हैं, तो नियमानुसार देय होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 से ओ.ए. साहब के सर्विस रिकार्ड हाजरी रजिस्टर की प्रतिलिपि 5 सालों की चाही गई है। इस संबंध में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं कराया गया है कि अपीलार्थी किस ओ.ए. की चाहता है यहाँ कार्यालय में एक से अधिक ओ.ए. संभाव्य है। इसी प्रकार आवेदक/अपीलार्थी द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या 3, 4, 5 एवं 6 से दोनों के विरूद्ध आई जन शिकायतों, पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण एवं पदस्थापन आदेश के संबंध में सूचना चाही गई है। यहाँ अपीलार्थी द्वारा किन ''**दोनों**'' के संबंध में सूचना चाही गई है यह स्पष्ट नहीं कराया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी संस्थापन के बिन्दु संख्या 2 से 6 तक के प्रत्युत्तर बाबत् हम सहमत है कि अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 2 से 6 के संबंध में स्पष्ट विशिष्टियों सहित विवरण उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को बिन्दु संख्या 2 से 6 तक के संबंध में स्पष्ट विशिष्टियों सहित विवरण उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 एवं 7 के हद तक खारीज की जाती हैं एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपने आवदेन दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 से लगायत 6 तक के संबंध में लोक सूचना अधिकारी को स्पष्ट विशिष्टियों सहित विवरण उपलब्ध कराये, एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या 2 से 6 तक के संबंध में स्पष्ट विशिष्टियों सहित विवरण उपलब्ध कराने पर अपीलार्थी को अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, प्रभारी अधिकारी संस्थापन जिला कार्यालय एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **<u>14.03.2023</u>** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official